राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांकः–एफ1(4)संस्था–4 / सीएस / एसओएम / 2024 1317 दिनांक 23/4/2024

कार्यालय–आदेश

राजकीय कार्यों के सूचारू सम्पादन के संबंध में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित सीनियर ऑफिसर मिटिंग (SOM) के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 15.04.2024 (संलग्न) में समुचित निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुसरण में मुख्यालय जयपुर, समस्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उनमें पदस्थापित शाखाओं के प्रभारी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे बैठक कार्यवाही विवरण के निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः--एफ1(4)संस्था–4 / सीएस / एसओएम / 2024 1318-28 दिनांक 23/4/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक महोदय, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
3. निजी सहायक ग्रेड– I, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन / लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन / लेखा), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, एच.सी.एम. रीपा, उदयपुर / कोटा / जोधपुर / बीकानेर
5. समस्त प्रभारी अधिकारीगण (शाखा / अनुभाग), मुख्यालय जयपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

RajKaj Ref
6737551

Digitally signed by Shaheen Ali Khan
Designation : Additional Director
Date: 2024.04.23 16:22:29 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक 86....
दिनांक 24/4/24

प.8(2)प्रसु / सम / अनु–1 / 2024 जयपुर, दिनांक:

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 10:00 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर मीटिंग (SOM) का आयोजन किया गया। बैठक में अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त शासन सचिवगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. सभी अधिकारीगण परस्पर सहयोगात्मक व्यवहार रखते हुए राज्यहित / जनहित में राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में समयबद्ध निस्तारण व गुणात्मक सुधार पर ध्यान देवें। विभागीय नीतियों / निर्णयों / महत्तवपूर्ण कार्यों के सक्षम स्तर पर अनुमोदन से पूर्व गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जावे।
2. अधिकारीगण मुख्यालय से बाहर जाने की सूचना विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत करें। यात्रा के साधन, तिथि, समय आदि की सूचना दी जावें।
3. अधिकरियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण स्थल / कार्यालय की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास कर लंबित प्रकरणों / फाईलों के निस्तारण की स्थिति, कार्यालय में स्वच्छता, साफ–सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जावे तथा अव्यवस्थाओं को दुरूस्त किये जाने हेतु दिशा–निर्देश देवें।
4. भावी पीढी की आधारभूत आवश्यकताओं के मध्यनजर सभी विभागों एवं अधिकारियों को सम्मिलित रूप से जल संरक्षण, जल संचयन, वनीकरण / वृक्षारोपण संबंधी कार्यों हेतु विस्तृत चर्चा करते हुए प्रति कार्मिक / प्रति परिवार प्रति वर्ष 01–01 पौधारोपण अवश्य करें तथा विकसित होने तक उसकी देख–रेख भी करें। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर वन विभाग द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। (**अपेक्षित कार्यवाही**– वन विभाग)
5. राज्य में जल अपव्यय नहीं हो, तथा जल भावी पीढ़ियो के लिये उपलब्ध रहे, इस हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। बाथरूम फिटिंग, स्वीमिंग पूल, वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों आदि विभिन्न विषयों पर सुधार के उद्देश्यों को लेकर बायलॉज / नियमों / नीतियो में संशोधन किया जावे। इस संबंध में कार्ययोजना / विचार बिंदु तैयार कर **जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी / भू–जल विभाग** द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। साथ ही यह भी अवगत करवाया जावे कि अन्य विभाग इस संबंध में क्या–क्या योगदान कर सकते हैं।

PA (ADG)
AD (A)
15/04/2024
DD (A)
15/04/24
Ad. AO
15/4
24/4/24
Est IV

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385...

Validity unknownSignature valid
RajKaj Ref. 6613994
Digitally signed by Arun Prakash Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.04.15 14:17:51 IST
Reason: Approved

6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 17 ए के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोकसेवकों द्वारा किये गए अपराधिक कृत्यों की जांच के संबंध में कार्मिक विभाग अथवा अन्य संबंधित विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने हेतु लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जावे।
7. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जावे। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन शीघ्र निस्तारित किया जावे। साथ ही आईपीआर की ऑनलाइन प्रविष्टि यथासमय की जावे।
8. राजस्व अर्जन से संबंधित विभाग प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही सुनिश्चित करें।
9. उच्च अधिकारीगण निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम के दौरान लोक व्यवहार से संबंधित राजकीय कार्यालयों यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, शहरी निकायों, नगरीय विकास संस्थाओं, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, पंचायत कार्यालय आदि का भी औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण की वास्तविक स्थिति से संबंधित विभाग को अवगत करावें, ताकि सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।
10. समस्त जिला प्रभारी सचिवगण नियमित रूप से एंव निर्धारित मानदंडानुसार जिलों का भ्रमण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संपर्क पॉर्टल पर अपलोड करें। जिला प्रभारी सचिवगण अन्य जिलों में भी अपने विभागीय कार्यो के संबंध में भ्रमण के दौरान पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि जन सेवाओं का निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठायें।
11. बड़ी परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिक कॉलोनी की साफ–सफाई/स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।
12. राज्य में निवेशकों को आकृष्ट करने हेतु निवेशक फ्रेंडली नीतियां एवं वातावरण निर्मित किया जावे। उद्योग स्थापित करने हेतु संबंधित अन्य विभागों की नीतियों में सुधार की आवश्यकता हो तो विभाग स्तर पर विचार किया जाकर आगामी कार्यवाही की जावे। राज्य में आयोजित होने वाली निवेशक मीट हेतु विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक तैयारी की जावें। परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन संबंधी नीति का सरलीकरण किया जावे, जिससे राज्य में निवेश को बढावा मिल सके।
13. केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट वर्षवार शत प्रतिशत उपयोग किया जावे।
14. ई–फाईल औसत निस्तारण समय में सुधार हुआ है, पत्रावलियों का गुणवत्तापूर्ण रूप से निस्तारण कर औसत निस्तारण समय को 10 घंटे से कम (Single digit में) करने का यथासंभव प्रयास किया जावे। अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/राजकीय उपकमों/बोर्डों/निगमों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं में ई–फाईल/डाक पेंडेंसी की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध व गुणवत्तपूर्ण निस्तारण किया जावे।

कार्यालय का पता: कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

RajKaj Ref
6613994

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by Aru rakash Sharma
Designation : retary To Government
Date: 2024.04.15 :17:51 IST
Reason: Approved

15. जिन 12 विभागों के KPI's पर अंतिम निर्णय नही हुआ है उनके संबंध में मुख्य सचिव महोदय से विचार विमर्श किया जाकर शीघ्र अंतिम निर्णय किया जावे। (**अपेक्षित कार्यवाही**– आयोजना विभाग)

16. CM-WMS पर सभी विभाग अपनी सूचनाओं की प्रविष्टियां कर दें। पोर्टल पर आधारभूत संरचनाओं के चालू कार्यो के दिनांक एवं समय सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे। (**अपेक्षित कार्यवाही**– आयोजना विभाग एवं सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग)

17. विभाग स्तर पर नवाचारों एवं विभागीय प्रक्रिया सुधार/सरलीकरण के संबंध में जानकारी ली गई एवं उपस्थित अधिकारीगण को अपने विभागीय कार्यों के निष्पादन में जनहित को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक नवाचार/ नवीनीकरण/सरलीकरण किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अरूण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पताः कक्ष न. 2209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
ई मेल– ard.js1@rajasthan.gov.in
वेबसाइट– www.ard.rajasthan.gov.in
फोन न. 0141–2385660

RajKaj Ref.:
6613994

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Aru[illegible]rakash Sharma
Designation : J[illegible]cretary To Government
Date: 2024.04.15 [illegible]:17:51 IST
Reason: Approved